<u>शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए भवन किराए पर लेने हेतु नियम व शर्तें :-</u>

1. Government Building को प्राथमिकता दी जाएगी , भवन के लिए एरिया के MC द्वारा NO objection certificate सम्बंधित विभाग से उपलबध करवाना होगा ।

2. किराए के लिए लिये गए भवन , में स्टाफ के बैठने तथा अन्य समान रखने के लिए कम से कम 3-4 कमरे , फार्मेसी , पैंट्री तथा 1-2 शौचालय होना चाहिए |

2. जिस भवन में सभी कमरे भूतल पर होंगे उन भवन मालिकों को प्राथमिकता दी जाएगी |

3. भवन के किराये का मांग पत्र भी आवेदन के साथ सलग्न करें । किराया के निर्धारण का अंतिम निर्णय कमेटी द्वारा किया जायेगा |

4. वार्षिक मरम्मत , सफेदी व् पेंट करवाने की जिम्मेवारी मकान मालिक की ही होगी (at his own cost) अन्यथा वार्षिक किराये में से 2 % की कटौती कर ली जाएगी |

5. मकान मालिक को 3 फेस का मीटर / Single face meter का load कम से कम 3.5-4 KW, आवश्यक फिटिंग करवाकर देनी होंगी |

6.किराए पर लिए जाने वाले भवन में प्रयोग किए जा रहे बिजली , पानी तथा सीवर के बिल का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा , इससे पूर्व के सभी भुगतान किये गए बिल की प्रति साथ लगाना आवश्यक है (No Dues Certificate)

7. किसी भी पक्ष द्वारा तीन माह का पूर्व नोटिस देकर अनुबंध रद्द किया जा सकता है व भवन खाली किया व करवाया जा सकता है |

8. अनुबंध की अवधि कम से कम तीन वर्ष तक रहेगी, इसके उपरांत अनुबंध का नवीनीकरण किया जाएगा |

9. तय किए गए किराए में 05 वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी बढोतरी नही की जाएगी |

10. किराए पर लिए गए भवन के लिए बिजली पानी की नियमित सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी |

11. किराए पर दिए जाने वाले भवन का कोई भी स्थान टूट फूट वाली नही होना चाहिए |

12. मकान मालिक को भवन किराए पर देते वक्त भवन की रजिस्टरी की प्रमाणित फोटो कॉपी इस कार्यालय में जमा करवानी होगी | जिससे यह प्रमाण हो कि भवन उसके नाम पर है | रजिस्टरी प्रस्तुत नही करने पर मकान मालिक को हलफ़नामा देना होगा कि मकान उसके नाम पर ही हैं तथा किसी भी विवाद की स्तिथि में वह स्वयं उत्तरदायी होगा |

13. कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी भवन को किराए पर लेने से पूर्व उसका निरीक्षण कर सकती है तथा इसके अतिरिक्त कमेटी को किसी भी भवन को किराए पर लेने व न लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा |

14. एक भवन मालिक केवल एक ही संस्था के लिए आवेदन दे सकता है |

15. भवन के अंदर पार्टीशन करने के लिए जैसे केबिन इत्यादि बनाया जा सकता है ।

Note : निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित प्रति स्वीकार्य होगी तथा सील बांध लिफाफे में सिविल सर्जन कार्यालय फतेहाबाद में जमा करवाना होगा ।

नियमों में किसी भी प्रकार के बदलाव करने का पूरा अधिकार कार्यालय सिविल सर्जन, फतेहाबाद का होगा

22/09/2021

Dy. Civil Surgeon
Fatehabad.